



प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ - 226001

पत्र सं०-683/ट्रस्ट/कोषागार भुगतान

दिनांक: 20.05.2016

"ई०मेल०" निदेशक (वित्त)

उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०,
डिस्कॉम वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, केसा कानपुर एवं
मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

"प्राथमिकता"

विषय :-पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य देयों को कोषागारों के माध्यम से भुगतान।

कृपया, उपरोक्त विषयक इस कार्यालय पत्र संख्या 660/ट्रस्ट/को०भु० दिनांक 16.05.2016, का सन्दर्भ लें। जिसके बिन्दु संख्या 3 में इंगित किया गया है "जिन इकाईयों में अभी तक 80% से कम कार्य हुआ है, या लम्बित पेंशनरों की संख्या 100-150 से अधिक है, वहाँ विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। जिन प्रकरणों में किन्हीं कारणों से पेंशन से प्रत्याप्ति की स्थिति आ रही हो उनके सम्बन्ध में निगम आदेशों के अनुरूप 29.02.2016 तक की प्रत्याप्ति कर, राशि पत्र के माध्यम से चैक/ड्राफ्ट द्वारा ट्रस्ट को वापिस की जायें।"

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिन पेंशन/पारिवारिक पेंशनरों का मंहगाई भत्ता, पेंशन अवशेष, ग्रेच्युटी एवं राशिकरण मद में निधि माँग इकाई/ट्रस्ट स्तर पर लम्बित है, उनकी लम्बित देय राशि से प्रथम चरण में प्रत्याप्ति की राशि को समायोजित किया जा सकता है, जिसके सम्बन्ध में ट्रस्ट कार्यालय को भी अवगत कराया जाये। पूर्ण समायोजन के उपरान्त पेंशन प्रकरण कोषागार को प्रेषित कर दिये जाये। प्रत्याप्ति की शेष राशि यदि कोई हो तो उसको नगद/चैक द्वारा वसूल कर लिया जाए। साथ ही 29.02.2016 को पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की वास्तविक संख्या का आंकलन कर अवगत कराया जाये।

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (वित्त) एवं ट्रस्टी

पत्र सं०-683 /ट्रस्ट/कोषागार भुगतान /तददिनांक: 2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ/निदेशक वित्त, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक (लेखा) डिस्कॉम, वाराणसी, आगरा, लखनऊ एवं मेरठ।
3. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ/उपमहाप्रबन्धक (केस्को), कानपुर, उपमहाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), लखनऊ।
4. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी (वितरण/पारेषण), तापीय परियोजनायें उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०रा०वि०उ० नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०, समस्त डिस्कॉम।
5. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, उ०प्र०पा०से०इ० ट्रस्ट लखनऊ।

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (वित्त) एवं ट्रस्टी